न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 55/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/163

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जयसिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति राजपुत, निवासी गुणावती, तहसील मकराना।		तहसीलदार मकराना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट
चुनौतीग्रस्त आदेश तहसीलदार बअनुसार सरकार बनाम शिवराज सिंह प्र0 सं0 125 दिनांक 23.07.2025 के विरूद्ध अपील

–:निर्णय:–

दिनांक : 16.09.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

1. ग्राम गुनावती की राजस्व सीमा में अपीलार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 231 पुराने खसरा नम्बर 78 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 यानी आधा हिस्सा अपीलार्थी के पिता रामचन्द्र सिंह के खातेदारी की अवस्थित है। जिस पर अपीलार्थी काबिज है व शेष आधा हिस्सा का बैचाण दिनांक 04.06.1956 को आधार मानकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 231 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा को खान विभाग की मानकर आवंटन कर दिया, जिसकी अपील माननीय श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष लम्बित है।
2. उक्त खसरा नम्बर 231 रकबा 08 बीघ 07 बिस्वा पर रामचन्द्र सिंह जी का कब्जा आज भी कायम है, किन्तु राजस्व विभाग व खान विभाग उक्त भूमि पर से अपीलार्थी व उसके पिता का कब्जा बल पूर्वक हटाने पर आमादा है, जिसके लिए षड़यन्त्र पूर्वक असत्य तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 231 को 232 की मानकर तहसीलादर के समक्ष धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर दी, जिसमें अपीलार्थी ने अपना विस्तृत जवाब दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु न्यायालय तहसीलदार ने अपीलार्थी जयसिंह के जवाब को दर–किनार कर गोलमाल आदेश दिनांक 23.07.2025 को पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को तहसीलदार के समक्ष खसरा नम्बर 231 [illegible] की नाप–चौक करवाने बाबत् भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु तहसीलदार ने हठ–धर्मिता का रूख अपनाते हुये उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.07.2025 को भी अनदेखा कर कोई कार्यवाही नहीं की है, [illegible] न्यायालय का [illegible] ओदश अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

3. अपीलार्थी ने कतई खसरा नम्बर 232 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 231 पर काबिज है। किन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारी खान विभाग व अन्य व्यक्तियों के साथ दुर्भिसंधि कर अपीलार्थी को अपनी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर बामादा हो रखे है, जो कतई उचित नहीं है, इसलिए खसरा नम्बर 231 व 232 का नाप–चौक किया जाकर सीमाज्ञान करवाया जाना लाजमी है।
4. अपीलार्थी अपने खसरा नम्बर 231 की भूमि पर काबिज है। खसरा नम्बर 232 की भूमि पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। न्यायालय तहसीलदार ने अपीलार्थी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम को दोषी मानने में कानूनी व वाक्याती भूमि की है। जिससे भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय का चुनौतीग्रस्त आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना के चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 23.07.2025 को अपास्त कर उचित कानूनी कार्यवाही करने का सादर आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी, मकराना के पत्रांक 243 दिंनाक 15.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने मौजा गुणावती के खसरा नम्बर 232 जो खनिज विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने मौजा गुणावती के खसरा नम्बर 232 जो खनिज विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है कि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिसे तहसीलदार मकराना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **16.09.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16.09.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
जीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
जीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर जीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:51 IST
Reason: SelfAttested